न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2661–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–15 पारित द्वारा तहसीलदार, गैरतगंज जिला रायसेन प्रकरण कमांक 2/अ–70/2006–07.

1– याशू जैन नाबालिग संरक्षक कस्तूरचंद जैन
2– कस्तूरचंद जैन पुत्र दयालचंद जैन
निवासीगण गैरतगंज जिला रायसेन ....आवेदकगण

विरूद्ध

मनोज कुमार पुत्र रामसहाय श्रीवास्तव
निवासी गैरतगंज जिला रायसेन ....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/2/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–70/2006–07 में दिनांक 25–6–15 को इस आशय की आदेशिका लिखी जाकर पेशी दिनांक 4–7–2015 नियत की गई है कि प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत । तहसीलदार के इसी आदेशिका के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि प्रकरण दिनांक 22–2–2012, 9–3–2012, 27–2–2012, 19–4–2012,

15–5–2012, 6–6–2012, 27–5–2014 एवं 28–4–2014 को साक्ष्य हेतु नियत किया जाकर अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है, अतः पुनः साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत करने में तहसीलदार द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह आधार भी उठाया गया है कि म0प्र0 शासन के निर्देशानुसार संहिता की धारा 250 के प्रकरणों में सुनवाई की जाकर 6 माह के अन्दर प्रकरण का निराकरण किये जाने के आदेश हैं, परन्तु तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में समुचित सहयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आवेदकगण की ओर से भी कई तिथियों पर समय की मांग की गई है । ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि तहसीलदार उनके समक्ष लम्बित संहिता की धारा 250 के प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है । अतः दोनों पक्ष तहसीलदार के समक्ष लम्बित संहिता की धारा 250 के प्रकरण में समुचित सहयोग करें, और तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दो माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर